ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-2* Issue-8* September- 2017
Innovation The Research Concept

भारत में महिला प्रस्थिति

सारांश

प्रस्तुत शोध भारत में महिलाओं की प्रस्थिति विशेषकर जनसंख्यात्मक, लिंगानुपात, महिला अपराध, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, राजनीतिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, संवैधानिक तथा कानूनी प्रस्थिति से सम्बन्धित है। इसके अन्तर्गत द्वितीयक स्त्रोतो से प्राप्त जानकारी के अतिरिक्त शोधार्थी द्वारा विभिन्न विभागों महिला एवं बाल विकास, सूचना एवं जनसम्पर्क, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्रामीण एवं पंचायत राज, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, उद्योग, खेल एवं युवा मामला, राजस्थान पथ परिवहन निगम, सहकारी तथा अल्पसंख्यक मामलात विभाग से तथ्य एकत्रित किये गये है। एकत्रित तथ्यों का विश्लेषण कर मूल्यांकन किया गया है।

मुख्य शब्द : महिला प्रस्थिति

वीना ढेनवाल
व्याख्याता,
राजनीति विज्ञान,
लोहिया महाविद्यालय,
चूरू

प्रस्तावना

मानव सभ्यता एवं संस्कृति के इतिहास की दीर्घकालीन यात्रा मुख्यतः परिवार तथा समाज नामक उन शाष्वत संरचनाओं के प्रयासों का सुपरिणाम है जो मूलतः स्त्री एवं पुरूष के संयुक्त प्रयत्नों के माध्यम से संचालित होती है। वैसे सृष्टि की संरचना का आधार भिन्नता है और यही भिन्नता समाज में स्पष्ट दृष्टि गोचर होती है। मानव की विशिष्ट स्थिति के निर्धारण में प्राणीशास्त्र आधार नर और मादा के रूप में है वही सामाजिक आधार स्त्री व पुरूष है। जैविक अर्थों में नर व मादा है जिसे सामाजिक मान्यता द्वारा लिंग पुरूष व स्त्री बना दिया गया है। एक मादा लिंग से स्त्री बनने की ऐतिहासिक गाथा से लेकर आधुनिक काल तक के स्त्री–विमर्ष के अध्ययनों से स्पष्ट है कि समाज में लिंग आधारित भेदभाव सभी स्तरों पर मौजूद है। न केवल भारतीय समाज में अपितु वैष्विक स्तर पर भी लिंग भेद स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आधी दुनिया के नाम से विख्यात महिला जगत नाना प्रकार की विषमताओं तथा भेदभावों से परिपूर्ण रहता आया है।

शुरूआती दौर से आज तक सभी समाजों में स्त्री के लिए विशिष्ट निर्धारित व्यवहार होते रहे है सामाजीकरण की प्रक्रिया में स्त्री को बचपन से लड़की की तरह बैठना, चलना, बोलना और व्यवहार करना सिखाया जाता है और लड़को को सबल बनाया जाता है। बालक के शिक्षा व स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। वहीं बालिकाओं को घरेलू कार्य तथा छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी दे दी जाती है।

परम्परागत रूप से भारत के इतिहास में विश्व के अन्य भू–भागों की तुलना में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। वैदिक युग में उन्हे पिता एवं पति दोनों के परिवारों में उचित स्थान प्राप्त था। उत्तर वैदिक काल में महिला प्रस्थिति में गिरावट प्रारम्भ हो चुकी थी। मध्यकाल में इसमें हास हुआ और तब से ही महिलाओं की स्थिति शोचनीय होती जा रही थी। उन्नीसवीं शताब्दी में 1856 का हिन्दू विधवा पुर्नविवाह अधिनियम 1829 का सत्ती प्रथा गैर कानूनी घोषित अधिनियम 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट 1891 में एज ऑफ कन्सेट एक्ट (1829 का शारदा एक्ट) इत्यादि कानून बने। लेकिन व्यवहार में इन अधिनियमों का विषेष प्रभाव नहीं पड़ा।[1]

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं के लिये समान अधिकारों और अवसर का प्रावधान किया गया लेकिन ये अधिकार महज एक औपचारिकता बन कर रह गये है। आज भी अधिकांश महिलाएं आर्थिक रूप से पराधीन है और सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से इतनी शोषित है कि वे औपचारिक अधिकारों का इस्तेमाल भी कर सकने की स्थिति में नहीं हैं। लेकिन कटु सच्चाई यह है कि आधी दुनिया के नाम से विख्यात महिला जगत नाना प्रकार की विषमताओं तथा भेदभावों से परिपूर्ण रहता आता है। यह बहुत चितांजनक पहलू है कि स्वतंत्र भारत में आज भी स्त्री पुरूष की समानता एवं स्वतंत्रता के लक्ष्य मूर्त रूप नहीं ले पाए है।[2]

शोध कार्य के उद्देश्य

1. भारत में महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, महिला अपराध, जनसंख्यात्मक, लिंगानुपात, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, संवैधानिक तथा कानूनी प्रस्थिति का विवरण प्रस्तुत करना।
2. भारत में महिलाओं की निम्न प्रस्थिति के कारणों को रेखांकित करना।
3. महिला विकास नीतिया, कार्यक्रमों तथा कानूनों की वस्तुस्थिति का अवलोकन करना।
4. महिला विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं एवं समस्याओं को चिन्हीत करना।
5. महिला विकास कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध परिकल्पनाएं

1. महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, पारिवारिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रस्थिति चिन्ताजनक है।
2. महिला विकास कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन में समाज तथा लोक प्रषासन व्यवस्था दोनो ही पूर्ण रूचि नहीं लेते है।
3. महिला कल्याण एवं विकास की योजनाएं स्थानीय आवश्यकता के अनुसार नहीं बनाई जाती है।
4. महिला विकास में बाधक तत्वों के निराकरण द्वारा विकास की गति दी जा सकती है।

शोध प्रविधि

भारत में महिला प्रस्थिति के अवलोकन हेतु दैव निदर्षन पद्धति से 300 उत्तरदाताओं का चयन कर उनसे प्रश्नावली भरवाकर जानकारी प्राप्त की गई है। प्राप्त प्रतिक्रियाओं का सारणीकरण कर यथोचित सांख्यिकीय विधि से उनका विष्लेषण किया गया हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों महिला एवं बाल विकास, सूचना एवं जनसम्पर्क, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्रामीण एवं पंचायत राज, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, उद्योग, खेल युवा मामलों, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, सहकारी तथा अल्पसंख्यक मामलात में जाकर तथ्य एकत्रित किये गये है। इस तरह प्राथमिक स्त्रोत, अवलोकन, साक्षात्कार तथा संरचित अनुसूची के माध्यम से एकत्र किये गये है। इसके अतिरिक्त विषय से सम्बन्धित पुस्तकों, जनगणना रिर्पोटस, समाचार पत्र पत्रिकाएं, शोध, प्रतिवेदन, कानूनों, नीतियों, लेखो इत्यादि के माध्यम से द्वितीयक तथ्य एकत्रित किये गये है। इन्ही के आधार पर मूल्यांकन कार्य किया गया है।

महिला जीवन के विभिन्न पक्षों में उनकी प्रस्थिति निम्न प्रकार से है –

1. महिला जनसंख्या एवं लिंगानुपात
2. महिला अपराध
3. शैक्षणिक प्रस्थिति (महिला शिक्षा)
4. स्वास्थ्य प्रस्थिति (महिला स्वास्थ्य)
5. राजनीतिक प्रस्थिति
6. पारिवारिक एवं सामाजिक प्रस्थिति
7. आर्थिक प्रस्थिति
8. संवैधानिक एवं कानूनी प्रस्थिति

महिला जनसंख्या (लिंगानुपात)

वर्ष 2011 की जनगणनानुसार भारत की कुल जनसंख्या 1,21,05,69,573 है। जिनमें से महिला जनसंख्या 58,64,69,174 है। 1901 में जहां लिंगानुपात 972 था वह वर्ष 2011 में घटकर 943 हो गया है।[3] तकनीकि के विकास एवं समाज में महिला की दोयम स्थिति, साथ ही परम्परागत विश्वासों के चलते स्त्री पुरूष अनुपात तेजी से बिगड़ने लगा। कन्या भ्रूण हत्याएं होने लगी, जिससे संतुलन पूरी तरह से लड़खड़ा गया। लिंगानुपात के बिगड़ने/कमी के परिणामस्वरूप महिला अपराधों विषेषकर यौन अपराध, अपहरण, छेड़खानी आदि की घटनाएं तेजी से बढने लगी। पंजाब और हरियाणा के ऐसे अनेक गांव हैं जहां हजारों युवाओं का विवाह नही हो पा रहा है।

सारणी 1.1, भारत में लिंगानुपात

सन्	प्रति हजार पुरूषों पर महिला संख्या
1901	972
1911	964
1921	955
1931	950
1941	945
1951	946
1961	941
1971	930
1981	934
1991	927
2001	933
2011	943

1901 में जहां लिंगानुपात 972 था वह वर्ष 2011 में घटकर 943 हो गया है।

सारणी 1.2, भारत में शिशु लिंगानुपात

सन	0 से 6 वर्ष के आयुवर्ग के लड़कियों की संख्या
1961	976
1971	964
1981	962
1991	945
2001	927
2011	914

भारत में 0 से 6 आयुवर्ग की लड़कियों की संख्या 1961 में प्रति हजार लड़कों पर 976 थी। जो 1971 में 964, 1981 में 962, 1991 में 945, 2001 में 927 तथा वर्ष 2011 में घटकर 914 हो गई। आंकड़ो से पता चलता है कि इस आयुवर्ग कीं लड़कियों की संख्या में लगातार गिरावट जारी है।

महिला अपराध

तमाम संवैधानिक प्रावधानो पुलिस एवं न्याय प्रणाली की सक्रियता तथा सरकारो के दावों के उपरान्त भी महिलाओं के प्रति अपराधो में उतरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। आज बलात्कार एक महामारी का रूप लेता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक 54 मिनट में एक महिला के साथ

बलात्कार किया जाता है और इसमे से मात्र 10 प्रतिशत घटनाओ की ही रिपोर्ट दर्ज हो पाती है।[4] बलात्कार एक दूधारी तलवार है एक तो महिला/लड़की के साथ ज्यादती होती है और दूसरी ओर उसके सगे सम्बन्धी उसे ही बदनामी के डर से मुँह बंद रखने को मजबूर करते है। इस तरह महिला अपराध की भी षिकार होती है और अपमानित भी होती है। इस विवषता से वह स्वयं को अषक्त समझने लगती है। वर्ष 2014 में देश मे 24923 बलात्कार के मामले विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज हुए। जिनमे से 854 नाबालिक लड़कियो के थे। बलात्कार का एक घिनोना पहलू यह भी है कि ज्यादातर लड़कियां भरोसे का षिकार बनती है। बलात्कार करने वालों में 80 प्रतिशत संख्या रिश्तेदारो, पड़ौसियों या अन्य परिचितो की होती है।

छेड़छाड़ या दबाव का विरोध करने पर लड़कियो पर तेजाब/रसायन फेंका जाता है। सामान्य उत्पीड़न और छेड़छाड़ का संसार भी विस्तृत एवं गहरा है। राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़ो के अनुसार 10 मे से 04 महिलाएं ऐसी है जो कभी न कभी बस में, रेल में, सड़क पर, गली मे और घर, स्कूल, कॉलेज, बाजार या कार्यस्थलो पर उत्पीड़न का शिकार हुयी है। अपमानित होने वाली महिलाओं मे से 13 प्रतिशत ने आत्महत्या की कोशिश की है। 99 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं का कहना है कि वे कार्यस्थल पर अपने पुरूष सहयोगियों पर भरोसा नहीं करती है। 77 प्रतिशत महिलाओं ने माना है कि काम के स्थान पर भद्दे मजाक या व्यंग्य आदि के कारण तनाव में रहती है। 80 प्रतिशत का मानना है कि कार्य स्थल पर सुरक्षित माहौल न मिलने के कारण उनकी कार्यक्षमता पर विपरीत असर पड़ता है।[5]

शैक्षणिक प्रस्थिति (महिला शिक्षा)

शिक्षा मानवीय विकास का केन्द्र बिन्दु है। शिक्षा से ही महिलाओं में आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वास पैदा होता है जिससे वे अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकती हैं। लेकिन देश में शिक्षा की कमी के कारण ही महिलाएं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र – आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक में शोषण व अत्याचार का शिकार हो रही हैं।

सारणी 1.3, भारत में स्त्री साक्षरता का प्रतिशत

सन्	कुल साक्षरता जनसंख्या	महिला	पुरूष	पुरूष/महिला साक्षरता प्रतिशत में अन्तर
1951	18.33	8.86	27.16	18.30
1961	28.30	15.35	40.39	25.05
1971	34.95	21.97	45.95	23.98
1981	43.67	29.76	56.38	26.62
1991	52.51	39.29	64.13	24.84
2001	64.83	53.67	75.26	21.59
2011	74.09	65.46	82.14	16.68

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त वर्ष 1951 में महिला साक्षरता दर 8.86 प्रतिशत थी जो वर्ष 2011 की जनगणनानुसार बढकर 65.46 प्रतिशत हो गयी है। परन्तु आज भी विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों मे बालिकाओं की ही संख्या अधिक है।

स्वास्थ्य प्रस्थिति

देश में महिला स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति चितांजनक बनी हुयी है। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक नाजुक समय मातृत्व का होता है। गर्भधारण करते हुए तथा बाद में बच्चे को दूध पिलाते हुए उनकी पोषण आवष्यकताएं काफी बढ जाती है। जबकि आज भी मातृ मृत्युदर 178 प्रति लाख तथा शिशु मृत्युदर 40 प्रति हजार बनी हुयी है।

चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की रिपोर्ट के अनुसार आज भी 48 प्रतिशत महिलाएं कुपोषित एवं कमजोर है। यदि बचपन की स्थिति का आकलन करे, तो शिशु मृत्युदर (6 वर्ष तक) के स्तर पर भी लड़कियों की मृत्युदर अधिक होती है।[6]

न्यूयार्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषण की स्थिति जिम्बाबे, सोमालिया जैसे निर्धन अफ्रीकी देशो से भी खराब है। प्रिन्सटन विश्वविद्यालय के शोध के अनुसार देश में 90 प्रतिशत महिलाओं में रक्त की कमी है तथा 48 प्रतिशत माताएं औसत वजन से कम की है।[7] स्वास्थ्य से जुड़ी हुई एक अन्य समस्या बाल–विवाह भी है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ो के अनुसार दुनियाभर में 720 लाख महिलाओं की शादी 18 वर्ष से पहले कर दी जाती है। इनमें से एक तिहाई यानी लगभग 240 लाख भारत में रहती हैं।[8]

देहाती क्षेत्रो की महिलाओं में बीड़ी और तम्बाकू का आज भी जबरदस्त प्रचलन है। शोध अध्ययन के अनुसार सिगरेट, तम्बाकू में मौजूद 4000 मे से 200 रसायन सेहत के लिए हानिकारक हैं और 25 तो ऐसे हैं, जो कैन्सर जैसे भयानक रोग को जन्म देते हैं।[9]

आज यह घातक रोग प्रौढ महिलाओ को ही नही, युवतियों को भी जकड़ रहा है। उनमे ब्रेस्ट कैन्सर, सरवाइकल कैन्सर और ओवेरियन कैन्सर के खतरे बढते जा रहे हैं।[10]

राजनीतिक प्रस्थिति

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन आधी आबादी की (महिलाओं) संसद मे हिस्सेदारी महज 12 फीसदी ही है। अब तक हुए 16 आम चुनावो में महिला सांसदो की संख्या को हम दहाई की दहलीज से आगे नही बढ़ा सके हैं। 16 वीं लोकसभा में 66 महिलाएं है यानि 12 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है। इंटरनेषनल पार्लियामेन्ट्री यूनियन के अनुसार विश्व में 21.8 प्रतिशत महिला सांसद है। ऐसे में महिला सांसदो के औसत लिहाज से भारत 111 वे पायदान पर खड़ा है।

सारणी 1.4, लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

क्र. सं.	वर्ष	कुल सदस्य संख्या	महिला सदस्य संख्या	महिला प्रतिशत
1	1952	499	22	4.4
2	1957	500	27	5.4
3	1962	503	34	5.4
4	1967	523	30	5.7

5	1972	521	22	4.2
6	1977	544	21	3.9
7	1980	544	28	5.2
8	1984	544	44	8.1
9	1989	517	27	5.2
10	1991	544	39	7.2
11	1996	543	40	7.4
12	1998	543	43	7.9
13	1999	545	47	8.61
14	2004	534	44	8.11
15	2009	545	59	10.8
16	2014	542	66	12

लोकसभा में महिलाओं की कमजोर प्रतिनिधित्व की स्थिति तब है जब मौजूदा लोकसभा में कई दलो की कमान महिलाओं के हाथों में है। 60 करोड़ से अधिक की महिला आबादी वाले देश की संसद में उनका प्रतिनिधित्व सुनिष्चित करने के लिए आरक्षण की दषको पुरानी पहल अब तक अधूरी है।[11]

पारिवारिक एवं सामाजिक प्रस्थिति

स्त्री सशक्तिकरण का अभिप्राय है कि एक महिला को अपने जीवन से जुड़े हुए सभी निणर्यो को लेने की स्वतंत्रता व अधिकार प्राप्त होना। लेकिन आज भी बहुत सी स्त्रियां अपने अधिकारों से वंचित है। लैगिंक भेदभाव व हिंसा की सर्वाधिक षिकार महिलाएं ही हैं। वे बाल–विवाह तथा पर्दा प्रथा की बेडियों में कैद हैं। पारिवारिक मारपीट, गालीगलौच, भ्रूणहत्या, बलात्कार, दहेज दहन, डायन दहन, तरह–तरह यौन शोषण, अनचाहा गर्भ, लूट, सुरक्षित प्रसव व मातृत्व का अभाव इत्यादि बुराइयों से पीडित हैं।[12]

महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति निर्णय लेने तथा गर्भ धारण करने के निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, न ही उनके पास स्वास्थ्य पर धन खर्च करने का अधिकार होता है। निर्णय या तो उसका पति करता है अथवा घर का कोई अन्य वरिष्ठ पुरूष करता है। वह विषमता एवं कुरीतियो की मार से पीड़ित है। कन्या भ्रूण को माताओ की कोख में ही मार दिया जाता है। लड़कियो का गिरता अनुपात, सामाजिक विषमता, लिंग आधारित भेदभाव, नैतिकता एवं मानवता का हनन इत्यादि कन्या भ्रूण हत्या के ही दुष्परिणाम है। महिलाओं से छेड़छाड़, हंसी मजाक, व्यंग्य फब्तियां, बुरी नजर से ताकना, रास्ता रोकना इत्यादि हमारे सामाजिक जीवन के अंग बने हुए हैं। छेड़छाड़ का यह सिलसिला आगे बढकर बलात्कार, आक्रमण, हत्या और तेजाब फेकने जैसी घटनाओं तक जा पहुंचता है। यह घटनाएं स्त्री स्वाभाव को असामान्य बना देती है। टीवी पर दिखाये जाने वाले विज्ञापनो में भी स्त्री को बिक्री योग्य वस्तु तथा उसके शरीर को वस्तुओ की बिक्री बढाने के साघन के रूप में चित्रित किया जाता है।

भारतीय समाज में महिलाओ की हीन प्रस्थिति के लिए विभेदकारी तथा एक पक्षीय प्रथाएं/परम्पराएं भी प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। आज भी समाज के बहुत बड़े वर्ग में लड़की का घर से दूर पढना, नौकरी करना, पुरूष सहयोगियो से मिलना–जुलना, अकेले घर से बाहर निकलना एवं रहना वांछनीय व्यवहार माना जाता है।[13]

पुरूष प्रभुत्व सम्पन्न सामाजिक व्यवस्था में स्त्री को केवल एक देह समझकर उस पर हर प्रकार से यौन–पवित्रता से सम्बन्धित नैतिकता को सख्ती से लागू किया जाता है। समाज मे देह व्यापार व्याप्त है तो मात्र इसलिए कि पुरूषों में स्त्री देह को खरीदने की प्रवृति आज भी मौजूद है। महिलाओं को भाषा, व्यवहार एवं सोच के प्रत्येक स्तर पर विभेदाकरी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है।

आज भी महिलाएं जलाई जाती है, मारी जाती है, बलात्कार का षिकार होती है। कहने को हम प्रगति कर रहे है, पर स्त्रियों के साथ न तो समानता का व्यवहार कर रहे है और न ही न्याय।[14] ग्रामीण परिवारों में घरेलू हिंसा आम बात है। अषिक्षित होने के कारण ग्रामीण महिलाओं के पास न तो आत्मबल है और न ही सामाजिक चेतना। महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के आकड़ो को दृष्टिपात करें तो आज भारत में 45 महिलाओं को हर दिन बलात्कार का षिकार, 31 महिलाओं एवं लड़कियो को हर दिन तस्करी, 21 महिलाओं को हर दिन दहेज हत्या तथा 121 महिलाओ को हर दिन यौन उत्पीड़न का षिकार होना पड़ रहा है।[15]

नेषनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की साल 2014 की रिपोर्ट के मुताबित करीब 3,37,922 घटनाए ऐसी हुई है जिसमें पति ने पत्नी पर अत्याचार किया। वर्ष 2015 में एसी घटनाओं में नो प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

हिंसा का एक नया रूप ओनर किलिंग के रूप में भी उभर रहा है। जातीय पंचायते (खाप) विजातीय जोड़े का सार्वजनिक रूप से सिर कलम करना, लड़की को उसके रिश्तेदार के हाथ मारना, निर्वस्त्र कर गांव में घुमाना, बलात्कार करना, आँख–कान व नाक काटना, परिवार को तंग करना इत्यादि फरमान जारी करती हैं।

आर्थिक प्रस्थिति

विश्व में काम के घण्टो में 60 प्रतिशत से अधिक का योगदान महिलाओं का है। फिर भी वे मात्र एक प्रतिशत सम्पति की ही मालिक है। महिलाए एक दिन मे पुरूषो की अपेक्षा 6 घण्टे अधिक कार्य करती है, उसके बावजूद भी उन्हे महत्वहीन समझा जाता है। कामकाजी महिलाओं मे 50 प्रतिशत कार्यस्थल पर किसी न किसी उत्पीड़न की षिकार होती है। नौकरीपेशा महिलाओं ने पारिवारिक दायित्व छोड़े नही है बल्कि नये दायित्व और भी ओढ लिये है। वह तन–मन–धन से पारिवारिक जिम्मेदारियां कुशलतापूर्वक निभाते हुए नौकरी कर रही है। फिर भी उसके इस त्याग का श्रेय अपेक्षित रूप से उन्हे नही मिल पाता है।

हालांकि सेना, पुलिस, ड्राइविंग तथा उच्च प्रबन्धन जैसे अनेक कठिन व्यवसायों में अब महिलाएं अपनी क्षमता और कुशलता का परिचय दे रही हैं। किन्तु रोजगार पाने वाली महिलाओं की संख्या कम है। देश में कुल श्रम बल मे महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 24 प्रतिशत है। रोजगार में लैगिंक समानता के मामले में विश्व के 193 देशों मे भारत 120 वे पायदान पर है।

रोजगार पाने वाली महिलाओं मे से केवल 14 प्रतिशत महिलाएं ही वरिष्ठ पदों पर पहुंच पाती हैं।

मार्च 2015 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) ने आधी आबादी की दशा–दिशा को लेकर कड़वी सच्चाई उजागर की है। आई.एल.ओ. का मानना है कि तमाम उपायो के बाद भी महिलाओ को पुरूषों के बराबर तनख्वाह नही मिलती है। पुरूष जितना कमाते है उसका 77 प्रतिशत ही महिलाएं अर्जित कर पाती हैं।[16] भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं जो घरेलू या खेती बाड़ी, पशुपालन, ईधंन बटोरने तथा कुटीर उद्योग की गतिविधियो जैसे काम करती है, उनका आर्थिक मूल्यांकन नही होता है, और न ही उन्हे रोजगार की श्रेणी में रखा जाता है।

बाजारीकरण के कारण श्रम के क्षेत्रो में महिलाओं की नियुक्ति तो हुई मगर अस्वास्थ्यकारी, खतरनाक, लम्बे काम के घण्टे, अधिक शारीरिक श्रम पर कम आमदनी वाले काम ही उसके हिस्से में आ रहे हैं। इसके साथ ही नियुक्ति के समय स्त्री सबसे कम नियुक्त होती है, परन्तु छटनी के समय स्त्री को सबसे पहले छांटा जाता है। घर एवं नौकरी की दोहरी जिम्मेदारी के कारण इनका स्वास्थ्य निरन्तर खराब होता चला जाता है। भूमण्डलीकरण और उदारीकरण के प्रभाव के कारण बढती अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियो के जाल में महिलाओ के शोषण को ओर तीव्र कर दिया है। इस तरह अधिकांश कामकाजी महिलाएं तनाव व अवसाद से ग्रस्त हैं।

महिलाओं के साथ संस्थागत व्यवहार भी समतापूर्वक नही है जैसे हवाई यातायात में विमान परिचारिकाओं के लिए अविवाहित होना आवश्यक है। नियमित आय न रखने वाली, कक्षा 9 से कम पढी–लिखी, विधवा इत्यादि महिलाओं का बीमा कराने के सम्बन्ध में भी पक्षपात किया जाता है।

संवैधानिक एवं कानूनी प्रस्थिति

संवैधानिक रूप से भारत में महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त है। महिलाओं के संदर्भ में व्याप्त विषमताओं को दूर करने, उनके अधिकारो की सुरक्षा की प्रत्याभूत व्यवस्था करने हेतु अनेक नियम सरकार द्वारा बनाये गये हैं। जिनसे से प्रमुख है– विषेष विवाह अधिनियम 1954, हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, हिन्दू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956, गर्भावस्था समापन चिकित्सा अधिनियम 1971, समान कार्य समान वेतन अधिनियम 1976, आपराधिक कानून संषोधन अधिनियम 1976, बाल विवाह अवरोधक अधिनियम 1929 तथा 1978, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986, महिला अषिष्ट चित्रण निवारण अधिनियम 1986, दहेज निरोधक अधिनियम 1961 तथा 1986, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, घरेलू हिंसा निषेधक अधिनियम 2005, सम्पति में सहदायिक अधिकार अधिनियम 2006, मातृत्व एवं प्रसूति अवकाश, स्वास्थ्य सुधार एवं कार्य के घण्टे की निष्चतता, नियोजन के दौरान यौन शोषण के विरूद्ध उपचार, महिला आयोग एक्ट 1990, सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समता एवं संरक्षण, लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक, शोषण के विरूद्ध अधिकार, महिलाओं के सम्मान एवं गरिमा को हानि पहुंचाने वाली प्रथाओं का निषेद इत्यादि। इस तरह नीतिगत रूप से तथा विधि सम्मत परिप्रेक्ष्य मे स्त्री–पुरूष की प्रस्थिति संविधान एवं कानून के अनुसार समान है।[17]

महिलाओं के कल्याण एवं सषक्तीकरण हेतु सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन, महिला नीति की घोषणा तथा महिला आयोग का गठन किया गया है। सरकार द्वारा ऐसी अनेक योजनाएं तथा कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है जिनमे से प्रमुख कार्यक्रम निम्न है– महिला समृद्धि, किषोरी शक्ति, किषोरियो हेतु पोषण कार्यक्रम, शिशु गृह योजना, महिला प्रषिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम (स्टेप), कठिन परिस्थितियो में रहने वाली महिलाओं के लिए स्वाधार योजना, शिशु देखभाल केन्द्र, प्रियदर्षिनी, उज्जवला, धनलक्ष्मी योजना, जेण्डर बजट, मातृत्व सहयोग योजना, सर्शत मातृत्व लाभ, बालिका समृद्धि योजना, स्वयं सहायता समूह योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, किषोरी सषक्तीकरण– सबला योजना इत्यादि प्रमुख है।[18]

निष्कर्ष

हालांकि आज स्त्री शिक्षा, योजनागत विकास, तीव्र औद्योगिकीकरण एवं आधुनिकीकरण, पष्चिमी एवं अमेरिकी संस्कृति का प्रभाव, जनसंचार माध्यमों की जनसाधारण तक पहुंच, सांविधानिक कानूनी अधिकार, नारीवादी आन्दोलन, राजनीति एवं नौकरियों में आरक्षण, सामाजिक सोच में बदलाव, विलम्ब विवाह, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास, सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाओं के प्रयास, वैष्वीकरण, उदारीकरण, अन्तर्राष्ट्रीय महिला संगठनों की भूमिका तथा मानवाधिकारों के प्रति आग्रह एवं चेतना ने निःसन्देह भारतीय महिलाओं की प्रस्थिति में सुधार किया है फिर भी यह सुधार पूर्णतः संतोषजनक नहीं है।

आज भी ऐसे अनेक क्षेत्र है जिनमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व नाम मात्र का है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आज भी परम्पराओं एवं रूढ़ियों में जकड़ी हुयी हैं। महिला न्याय एवं कानून की दृष्टि से भले ही पुरुषों के समान हो, व्यावहारिक क्षेत्र में परम्पराएं महिलाओं के विरुद्ध ही हैं। सिद्धान्त एवं व्यवहार का अन्तर गरीब से अभिजात वर्ग तक की महिलाओं में देखने को मिल जाता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, तकनीकी दुरूपयोग द्वारा महिलाओं की छवि बिगाड़ना, यौन पर्यटन तथा फैषन, सिनेमा एवं उपग्रहीय चैनलों द्वारा उन्मुक्तता का प्रदर्षन, सैक्स एवं खुलापन महिलाओं की प्रस्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है।

उपरोक्त सांविधानिक कानूनी समानता, नियमो की विद्यमानता, सरकारी कल्याणकारी नीतियां, महिला संगठनों के प्रयासो के पश्चात भी व्यवहार में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सोचनीय है। वर्तमान में भारतीय महिलाओं का शिक्षा, चिकित्सा, प्रषासन, राजनीति एवं सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र इन सभी में सार्थक हस्तक्षेप दृष्टिगत हो रहा है। फिर भी समग्र समानता, समाज एवं सरकार, धर्म एवं राजनीति, प्रषासन एवं अर्थव्यवस्था, विवाह एवं परिवार, गांव एवं शहर तथा घर एवं बाहर कहीं भी प्राप्त नही की जा सकी है। महिला सशक्तीकरण एवं महिला विमर्ष का काफी जोर–शोर है,

बावजूद सिद्धान्त एवं व्यवहार के बीच चौड़ी खाई स्पष्ट दिखाई दे रही है। पितृ सत्तात्मक व्यवस्था में लाभार्थी रहा वर्ग अपने विशेषाधिकारों में किसी प्रकार की कटौती के पक्ष में नहीं है। अतः अभी आधी आबादी (महिलाओं) को अपने लोकतांत्रिक अधिकारो के लिए काफी संघर्ष करना होगा।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *भारत सरकार अधिनियम –सन् 1829, 1831, 1856 तथा 1872 के सुधार अधिनियम*
2. *डॉ. अरविन्द कुमार महला – भारत में महिला संषक्तीकरण–प्रयास एवं बाधाएं, मलिक एण्ड कम्पनी, जयपुर पृ. 17*
3. *जनसांख्यिकीय विभाग, भारत सरकार*
4. *डॉ. गीता सामौर–भारत में महिला सशक्तीकरण प्रयास एवं बाधाएं पृ.119*
5. *सुभाष सेतिया – आधी आबादी का सच, समाज कल्याण पत्रिका, मार्च 2015*
6. *डॉ. कृष्ण चन्द्र चौधरी, भारत में स्वास्थ्य की स्थिति, समाजकल्याण पत्रिका अप्रैल 2015*
7. *श्रीमती वीणा सबलोक, कुपोषण राष्ट्रीय समस्या, समाजकल्याण पत्रिका अप्रैल 2015*
8. *शारदा लाहनगीर, बाल विवाह के खिलाफ संगठित कंधमाल की किषोरिया, समाजकल्याण पत्रिका अप्रैल 2015*
9. *राजस्थान पत्रिका – 31 जुलाई 2015, सीकर संस्करण*
10. *भगवती प्रसाद गौतम –युवतियो पर भारी रसायन, समाज कल्याण पत्रिका अप्रैल 2015*
11. *राजस्थान पत्रिका – 8 मार्च 2014, सीकर संस्करण*
12. *डॉ. कृष्ण चन्द्र चौधरी– स्त्री सशक्तीकरण– चुनौतियां एवं सम्भावनाएं, समाज कल्याण पत्रिका अप्रैल 2015*
13. *डॉ. अरविन्द कुमार महला, महिला प्रस्थिति – भारत में महिला सशक्तीकरण प्रयास एवं बाधाएं, पृ. 16–17*
14. *डॉ. जगजीत सिंह कविया– भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति–भारत में महिला सशक्तीकरण प्रयास एवं बाधाएं पृ. 109*
15. *डॉ. गीता सामोर – भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति पृ. 117*
16. *राजस्थान पत्रिका – 15 मई 2015 सीकर संस्करण*
17. *विनीत कुमार एवं कृष्णा डुडी –महिला सशक्तीकरण हेतु संवैधानिक एवं कानूनी प्रयास, पृ. 210–211*
18. *डॉ. एस. के. कटारिया, भारत में महिला विकासः नीति एवं प्रशासनिक तंत्र पृ. 231*